भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 504
दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक

504. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है और कितने मामलों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/वर्ष-वार दण्ड, जुर्माना या अन्य दंड दिए गए हैं;

(ख) प्रस्तावित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है और नवम्बर, 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा जारी किए जाने के बाद से इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इस मसौदे पर किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल हितधारकों और मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राप्त प्रमुख सिफारिशों अथवा आपत्तियों का ब्यौरा क्या है जो इस विधेयक को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हो रही हैं; और

(ङ) क्या कोई अंतर-मंत्रालयी स्वीकृति अथवा मंत्रिमंडल का अनुमोदन लंबित है और इस विधेयक को संसद में पुरः स्थापित करने की समय-सीमा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों के विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों को सौंपा गया है। इसलिए, इसकी जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) से (ङ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक 2022 का मसौदा दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 07.12.2022 तक जनता के विचार आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात्, विभाग को 7000 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों से सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुईं।

इसी बीच, भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसमें पशु के प्रति क्रूरता से निपटने के प्रावधान भी शामिल हैं। सभी सुझावों, परामर्शों और वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित विधेयक की जांच की जा रही है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे पेश किया जाएगा।

*****